रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1983/आश्विन 8, 1905
No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1983/ASVINA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सं. प्रतिअदायगी/गा. मू. 24/83

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

सार्वजनिक सूचना

फा. सं. 600/2503, 2504, 2505 1(घ) और 2505 (2) और 2500—प्र. अ — सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 की अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर

यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) उप-क्रम सं. 2505 2 और उस से सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी ।

(2) जहां पर उप-क्रम सं. 2627 और 2629 के अधीन सूत टैक्स्चर्ड सूत हो, वहां पर 6 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम की अदायगी का उपबन्ध इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने की तारीख से वापस ले लिया समझा जाएगा ।

यह सार्वजनिक सूचना तारीख 1 अक्तूबर, 1983 से लागू हुई मानी जाएगी ।

जेड. बी. नागरकर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NO. DRAWBACK|PN-24|83

New Delhi, the 30th September, 1983

PUBLIC NOTICE

F. No. 600|2503, 2504, 2505 I(D) & 2505(II) and 2509|DBK.—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52|F. No. 602|2|70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments (in the Public Notice No. Drawback-PN 1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :

(1) The Sub-Serial No. 2505 II and the entries relating thereto shall be deleted.

(2) The provision of payment of Rs. 6.25 per Kg. where the yarn is textured yarn under Sub-Serial No. 2627 and 2629 will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st October, 1983.

Z. B. NAGARKAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983